राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज जयपुर

क्रमांक प.24(ग)(13)/नियम/डीएलबी/89/5135-5330 दिनांक 30-8-08

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं।

विषय :— पशुं—वधगृह बन्द करने के क्रम में।

राज्य सरकार द्वारा जैन धर्म के पर्युषण पर्व को अहिंसा दिवस घोषित किया निम्नाकिंत तिथियों को राज्य के सभी बूचड़खाने, मांस मछली की दुकाने बन्द का निर्णय लिया गया है। अतः आदेश दिये जाते है कि निम्नाकिंत तिथियों को के सभी बूचड़खाने मांस मछली की दुकाने बन्द रखी जावें :—

भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 1, 2065	दिनांक 31.08.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 2, 2065	दिनांक 01.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 3, 2065	दिनांक 02.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 4, 2065	दिनांक 03.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 5, 2065	दिनांक 04.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 8, 2065	दिनांक 07.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 10, 2065	दिनांक 10.09.2008
भाद्रपद (भादवा) शुक्ला 14, 2065	दिनांक 14.09.2008
[illegible] 1, 2065	दिनांक 16.09.2008

शासन सचिव
30/8/08

क्रमांक प.24(ग)(13)/नियम/डीएलबी/89/5135-5330 दिनांक 30-8-08
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2 निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय। समस्त DDR
6 सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी

From
Hemant Sogani [illegible]

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय राज. जयपुर

क्रमांक:प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II/10581–10806 दिनांक: 09/09/15

1. जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान
2. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

<u>संशोधित –आदेश</u>

विषयः पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने बन्द रखने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के सभी बूचड़खाने मांस–मछली की दूकाने बन्द रखने के संबंध मे जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 18.08.2015 को निम्न प्रकार संशोधित रूप से पढा जावे।

'जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी बूचड़खाने मांस–मछली की दुकाने बन्द रखी जावे।

पर्व	दिनांक	वार
पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी	17.09.15 एवं 18.09.15	गुरूवार एवं शुक्रवार
अनन्त चतुर्दशी	27.09.2015	रविवार

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II/10807–10820 दिनांक: 09/09/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
4. आयुक्त आबकारी विभाग, राजस्थान जयपुर/उदयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)

Scanned with CamScanner

देश विदेशों में बूचड़ खाने बन्द दिनों का विवरण

जीव बन्धु विशेषांक से संकलित -

विदेश का नाम		बूचड़ खाने बन्द रखने के दिन
1. जापान	-	हर रविवार
2. इण्डोनेशिया	-	हर रविवार
3. सीरिया (अरब)	-	हर शुक्रवार
4. आस्ट्रिया	-	प्रत्येक शनिवार और रविवार
5. आयरलेण्ड	-	प्रत्येक रविवार गुड फ्राइडे व सार्वजनिक छुट्टियों में नियम भंग करने वाले को पहले एक पौण्ड फिर दो पौण्ड प्रतिदिन की सजा
6. फ्रान्स	-	प्रत्येक रविवार
7. पोलेण्ड	-	प्रत्येक रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों में
8. लंका	-	प्रतिप्रवा अष्टमी, अमावश्या, पूर्णमासी तथा धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्व दिनों में। नियम भंग करने वाले को रू. 50/- जुर्माना अथवा तीन महीने की कैद
9. जर्मनी	-	प्रत्येक शनिवार और रविवार
10. पाकिस्तान	-	प्रत्येक मंगलवार और बुधवार

अब भारत के विविध राज्यों का विवरण

1. राजस्थान सरकार का जी.ओ. संख्या 1-11 (1609) LSG/49 14.1.1950 दि. 14.1.50 राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित -	-	1. गणेश चतुर्थी 2 ऋषि पंचमी 3. अनन्त चतुर्दशी 4. गाँधी जयंती 5. गाँधी निर्वाण दिन 6. महाशिवरात्री 7. श्री राम नवमी 8. बुद्ध जयन्ती 9. महावीर जयन्ती 10. श्री कृष्णाष्टमी 11. गणतन्त्र दिवस 12. स्वतन्त्रता दिवस 13. दीपावली 14. कार्तिक पूर्णिमा 15. कार्तिक वंद चतुर्दशी 16. कार्तिक वंद प्रतिपदा
2. मध्यप्रदेश जी.ओ. संख्या 1317-5653/18-1 दिनांक 3.3.1971	-	1. गणतन्त्र दिवस 2. गाँधी निर्वाण दिन 3. महावीर जयन्ती 4. बुद्ध जयन्ती 5. स्वतन्त्रता दिवस 6. गाँधी जयन्ती 7. श्रीराम नवमी 8. डोल ग्यारस 9. पर्यूषण पर्व का पहिला दिन 10. गणेश चतुर्थी 11. अनन्त चतुर्दशी 12. महावीर निर्वाणदिन 13. तारक तरक जयन्ती 14. घासीराम जयन्ती, चेती चांद
3. कर्नाटक जी.ओ. संख्या H 4 D65 GGL 78 दिनांक 8.1.1979	-	1. बुद्ध जयंती 2. गाँधी जयन्ती 3. गाँधी निर्वाण दिन 4. महावीर जयन्ती 5. श्री कृष्णाष्टमी 6. गणेश चतुर्थी 7. श्रीराम नवमी 8. डा. अम्बेडकर जयन्ती 9. संक्रांति 10. महाशिवरात्री 11. श्रीराम लिंग आदि कलार निर्माण दिन
4. आंध्र प्रदेश मेमो संख्या 229/F-1/82-16 दिनांक 6.7.1986	-	1. महाशिवरात्री 2. गाँधी जयन्ती 3. बुद्ध जयन्ती 4. महावीर जयन्ती 5. गाँधी निर्वाण दिन 6. श्री राम नवमी 7. श्री कृष्णाष्टमी
5. महाराष्ट्र	-	1. गणतन्त्र दिवस 2. स्वतन्त्रता दिवस 3. गांधी जयन्ती 4. श्री राम नवमी 5. महावीर जयन्ती 6. संवत्सरी महापर्व
6. तमिलनाडु जी.ओ. संख्या 45 R.D. and L.A. DL 16-1-76 जी.ओ. संख्या 122 R.D. and L.A. Dt. 23-1-80	-	1. महावीर निर्वाण दिन 2. तिरूवल्लुवर जन्म दिन 3. वड़लूर राम लिंगार नैनाईवुनाल 4. महावीर जयन्ती

आंध्र प्रदेश में हर शनिवार के दिन और पंजाब में हर मंगलवार के दिन मांस व मछली की दुकानें बंद रखने का राज्य सरकारों ने आदेश जारी किया है। तमिलनाडु में हर हफ्ते एक दिन सिर्फ मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश है। जयपुर में हर शुक्रवार के दिन कतलखाने बन्द रखे जाते हैं।

ऋषिकेश के मजिस्ट्रेट श्री आर.पी. अरोड़ा ने चेतावनी दी है कि ऋषिकेश की सीमा के भीतर यदि कोई व्यक्ति मांस मछली अथवा अण्डे लाता, लेजाता या बेचता पाया गया तो उस पर एक हजार रूपये जुर्माना किया जायेगा उन्होंने कहा कि उक्त खाद्य पदार्थो पर पहले से ही कानूनी प्रतिबन्ध लागू है।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें- राष्ट्रीय अहिंसा प्रतिष्ठान 446, महावीर गली, सरदार पटेल मार्ग सरदारपुरा 02912432384, जोधपुर (राज.) 342003

प्रचारक सेवा में- भारतीय संस्कृति बचाओ मंच, ललितपुर

प्रथम संस्करण 1000 + द्वितीय 1008=2008 न्यू राठौर ऑफसेट प्रेस, बजाई बाजार, ललितपुर Ph.: 273007

Scanned with CamScanner

कर्नाटक सरकार

नबर, आपस/डीबीडी -5 /प्राकरा /2008 -09 *

आयुक्त कार्यालय,
पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग
बेंगलोर, दि. 07-08-2009

मुख्य सचिव,
पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग,
कर्नाटक सरकार, विकास सौध
बेंगलोर

विषय: दिनांक २४-०८-२००९ से ०३-०९-२००९ तक चलनेवाले जैन त्योहार पर्युषण और दशलक्षण पर्व के दौरान पशु परीक्षण और प्रयोगशालाओ को बद करने की याचिका।

संदर्भ :- १. सरकार का पत्र सं- पसंमी/92/सलेवि:2009, दिनांक 27-07-2009.

२. गोवंश हत्या मुक्त कर्नाटक निर्माण संघटनाओंका समूह द्वारा आयुक्त को प्रस्तुत किया गया पत्र दि १३-०८-२००९।

महोदय,

कत्तलखाने बंगलोर सिटी कॉरपोरेशन और स्थानीय निकाय के तहत कार्य निर्वाह करते है। वे स्थानीय निकायों और शहरी विकास विभाग के निदेशालय के नियंत्रण में आने से जैन त्योहार पर्युषण और दशलक्षण पर्व के समय में कत्तलखाने बंद करने का आदेश स्थानीय निकायों और शहरी विकास विभाग के निदेशालय के द्वारा जारी करने की सूचना दी जाती है।

भवदीय
हस्ताक्षर
आयुक्त

प्रति
१. विश्व जैन संघटन, ९/१९७६ ४थी लेन, दिल्ली -1100 31 को जानकारी हेतु भेज दिया गया है।
२. गोवंश हत्या मुक्त कर्नाटक निर्माण संघटनाओंका समूह(फेडरेशन)- नंबर 19 के वल्लभनिकेतन, विश्व नीड, गाधी भवन के पास , पार्क ईस्ट, शिवानंद स्टोर बेंगलुरू-01।

आयुक्त

Scanned with CamScanner

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ. ಪಸಂಸೇ/ಡಿ.ಎಲ್-5/ಪ್ರಾಕ/ಪ್ರಾಕ್ಷಸ/214/09-10

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿ: 1?-08-2009.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ದಿನಾಂಕ:14-08-2009 ರಿಂದ 03-09-2009ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜೈನರ ಪಟ್ಟ "ಪರ್ಯೂಷಣ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ 1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ ಪಸಂಮೀಇ/92/ಸಲೆಮ:2009 ದಿನಾಂಕ 27-07-2009.

2 ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರವರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:13-08-2009.

******

ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೈನರ ಪಟ್ಟ "ಪರ್ಯೂಷಣ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ ಪರ್ವ" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಿ/-
ಆಯುಕ್ತರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-
1. ವಿಶ್ವ ಜೈನ ಸಂಘಟನ, 9/1976 4ನೇ ಬೀದಿ, ಕೈಲಾಶ್ ನಗರ, ದೆಹಲಿ-110031 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ(ಫೆಡರೇಷನ್), ನಂ:19, ವಲ್ಲಭನಿಕೇತನ, ವಿಶ್ವ ಪೀಠಂ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಪಕ್ಕ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, [illegible] ಫ್ಲೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-01.

[signature]
ಆಯುಕ್ತರು.

पत्र संख्या-सी/जे०ए०-5501/08-________________/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग।

प्रेषक,

श्री कमल नारायण सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- अगस्त, 08

विषयः गृह विभाग के जन शिकायत कोषांग में दिनांक-[illegible]-7-08 को प्राप्त परिवाद पत्र।

प्रसंगः मुख्य मंत्री सचिवालय का पंजीयन क्रमांक-2506091167

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर शिकायत कोषांग के पत्रांक-959 दिनांक-13-8-08 एवं श्री संजय कुमार जैन, प्रेसिडेन्ट, विश्व जैन संगठन, दोधा कुंज IX/1976 गली नं०-4 कैलाश नगर दिल्ली-31 की छाया प्रति अनुलग्नक साथ संलग्न करते हुए कहना है कि जैन का त्योहार दिनांक-04 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2008 तक मनाया जायेगा।

अनुरोध है कि जैन त्योहार के अवसर पर वांछित आदेश के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

कृष्ण/29-8-08

ज्ञापांक-सी/जे०ए०-5501/08- /पटना, दिनांक- अगस्त, 08

प्रतिलिपि, सचिव, जन शिकायत कोषांग सह विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को जन शिकायत कोषांग 959 दिनांक-13-8-08 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-सी/जे०ए०-5501/08- /पटना, दिनांक- अगस्त, 08

प्रतिलिपि, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, गृह विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-959 दिनांक-13-8-08 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-सी/जे०ए०-5501/08-8984/पटना, दिनांक- 29 अगस्त, 08

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार जैन, प्रेसिडेन्ट विश्व जैन संगठन, दोधा कुंज-IX/1976 गली नं०-4 कैलाश नगर, नई दिल्ली-31 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

29/08/08

Scanned with CamScanner

पर्युषण पर्वों में पूरे हरियाणा में पशु वध शालाएं (कत्लखाने) बन्द करने वाले सरकार के आदेश की कॉपी

प्रेषक

निदेशक

शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में

1. आयुक्त, सभी नगर निगम
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य
3. कार्यकारी अधिकारी / सचिव
   सभी नगर / परिषदे / नगर पालिकाए, हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक टी. ए. - 1 / डी.यू.एल.बी. / 2014 / 32147 - 246
दिनांक 7 - 7 - 14

विषय :- जैन पर्युषण पर्व 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिन) तक कत्लखाने बन्द करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र यादी क्रमांक 14 / 69 / 2010 - 4C-I दिनांक 10.09.2010 जो आपको सम्बोधित है, के सन्दर्भ में।

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि इस वर्ष 2014 के दौरान दिनांक 23.08.2014 से 31.08.2014 (9 दिनों) तक जैन समाज उत्सव आयोजित होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार की हिदायतों के दृष्टिकोण में उक्त उत्सव के दौरान स्लाटर हाऊस बन्द रखने तथा इस अवधि में किसी भी प्रकार के पशुओं को काटे जाने पर पूर्ण प्रतिबनध रखने के लिए सम्बन्धितों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी करवाने का कष्ट करें।

7/7/2014

कार्यकारी अभिन्यता - II
कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा, पंचकूला।

7/7/14

क्रमांक टी. ए. - 1 / डी.यू.एल.बी. / 2014 / 32247 दिनांक 7 - 7 - 14

इसकी एक प्रति श्री राधेश्याम जैन, मकान नं. 3698, सैक्टर 46 - सी चण्डीगढ़ को उनके पत्र दिनांक 11.06.2014 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है।

7/7/2014

कार्यकारी अभिन्यता - II
कृते : निदेशक शहरी स्थानीय निकाय
हरियाणा, पंचकूला।

7/7/14

हरियाणा सरकार को धन्यवाद

विश्व जैन संगठन

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय राज. जयपुर

क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II/30733-30923 दिनांकः 24/7/17

आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषयः पशुवध गृह/मांस मछली की दुकाने वन्द रखने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैन धर्म के पर्युषण पर्व को दृष्टिगत रखते हुये निम्नांकित तिथियो को राज्य के सभी बूचडखाने एवं मांस–मछली की दूकाने वन्द रखी जावे।

पर्व	दिनांक	वार
पर्यूषण पर्व एवं संवत्सरी	26.08.2017	शनिवार
अनंत चतुर्दशी	05.09.2017	मंगलवार

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक.प.24(ग)(13)नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II/30924-30972 दिनांकः 24/7/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. समस्त उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. जनसंपर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशित करवाने हेतु ।
7. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

letter/doc.

Scanned with CamScanner